भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल में सहायक प्राध्यापक, जव-भौतिकि के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 डीओपीटी के दिनांक-के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, लेड़ी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल में सहायक प्राध्यापक, जव-भौतिकि के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक भर्ती णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ नियमों के मसौदे केप्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30,Thenkholal) (-एमएच) अनुभाग अधिकारी (baite), कमरा सं405 .ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061521-011 :

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत क राजपतर भाग 2, खणड–3, उपखणड (i)म परकाशनारथ]

भारत सरकार

सवासथय और परविार कलयाण मतरालय

नई दलिली, तारीख :   2017

अधसिचना

सा.का.नि. . . . . राषटरपत,ि सवधिान क अनचछद 309 क परनतक दवारा परदतत शकतयिों का परयोग करत हुए, लडी हारडगि मडकिल कॉलज और शरीमती सचता कपलानी असपताल, नई दलिली, सवासथय और परविार कलयाण मतरालय म सहायक पराधयापक, जव-भौतकिी की भरती की पदधत िका वनियिमन करन क लिए नमिनलखिति नयिम बनात ह, अरथात :-

1. सकषपित नाम और परारभ: (1) इन नयिमो का सकषपित नाम सवासथय एव परविार कलयाण मतरालय, लडी हारडगि मडकिल कॉलज और शरीमती सचता कपलानी असपताल, नई दलिली, म सहायक पराधयापक, जव-भौतकिी, समह 'क' पद भरती नयिम, 2017 ह |

(2) य राजपतर म उनक परकाशन की तारीख को परवतत होग |

2. पदो की सखया, वरगीकरण और वतन मटरकिस म लवल– उकत पदो की सखया, उनका वरगीकरण, वतन मटरकिस म लवल वह होगा जो इन नयिमो स उपाबदध अनसची क सतभ (2) स सतभ (4) म वनिरिदिषिट ह |

3. भरती की पदधत,ि आय सीमा, अरहताए आदि– भरती की पदधत,ि आय सीमा, अरहता और उकत पद स सबधति अनय बात व होगी जो परवोकत अनसची क सतभ (5) स सतभ (13) म वनिरिदिषिट ह |

4. नरिरहता : वह वयकत-ि

(क) जसिन ऐस वयकत िस, जसिका पत िया जसिकी पतनी जीवति ह, ववािह कयिा ह, या ववािह की सवदिा की ह या

(ख) जसिन अपन पत िया अपनी पतनी क जीवति रहत हुए कसिी वयकत िस ववािह कयिा ह या ववािह की सवदिा की ह,

उकत पद पर नयिकत िका पातर नही होगा :

परनत यद िकनदरीय सरकार का यह समाधान हो जाता ह क िऐसा ववािह ऐस वयकत िऔर ववािह क अनय पकषकार को लाग सवीय वधि िक अधीन अनजञय ह और ऐसा करन क लिए अनय आधार ह तो वह कसिी वयकत िको इस नयिम क परवरतन स छट द सकगी।

5. शथिलि करन की शकति: जहा कनदरीय सरकार की यह राय ह क िऐसा करना आवशयक या समीचीन ह, वहा वह उसक लिए जो कारण ह, उनह लखबदध करक, और सघ लोक सवा आयोग स परामरश करक इन नयिमो क कसिी उपबध को कसिी वरग या परवरग क वयकतयिों की बाबत, आदश दवारा शथिलि कर सकगी।

6. वयावतति: इन नयिमो की कोई बात, ऐस आरकषण, आय-सीमा म छट और अनय रयिायतो पर परभाव नही डालगी, जनिका कनदरीय सरकार दवारा इस सबध म समय –समय पर जारी कएि गए आदशो क अनसार अनसचति जातयिों, अनसचति जनजातयिों, अनय पछिड वरगो, भतपरव सनकिो और अनय वशिष परवरग क वयकतयिों क लिए उपबध करना अपकषति ह।

अनसची

पद का नाम	पद सखया	वरगीकरण	वतन मटरकिस म लवल	चयन अथवा अचयन पद	सीध भरती कए जान वाल वयकतयो क लिए आय सीमा	सीध भरती कए जान वाल वयकतयो क लिए अपकषति शकषिक और अनय अरहताए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक पराधयापक (जव-भौतकिी)	1*(2017) *कारयभार क आधार पर परविरतन कयिा जा सकता ह।	साधारण कदरीय सवा, समह 'क', राजपतरति, अननसचविीय	वतन मटरकिस (67700 र - 208700 र) म लवल 11	लाग नही	लाग नही	लाग नही

सीध भरती कए जान वाल वयकतयों क लिए विहित आय और शकषिक अरहताए परोननत वयकतयों की दशा म लाग होगी या नही।	परिवीकषा की अवधि यदि कोई हो।	भरती की पदधति: भरती सीध होगी या परोननति दवारा या परतिनियकति या आमलन दवारा तथा विभिनन पदधतियों दवारा भरी जान वाली रिकतियों की परतशितता
(8)	(9)	(10)
लाग नही	लाग नही	परतिनियकति दवारा (अलपकालिक सविदा सहित)

परोननति या परतिनियकति या आमलन दवारा भरती की दशा म व शरणिया जिनस परोननति या परतिनियकति या आमलन किया जाएगा।
(11)
कनदरीय सरकार या राजय सरकार क कारयालयो या विशविदयालयो या मानयता परापत शोध ससथाओ या सारवजनिक कषतर क उपकरमो या अरध सरकारी/सवायतत या सांविधिक सगठनो क ऐस अधिकारी जो: (1) (i) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हए ह, या (ii) जिनहोन वतन मटरिकस (56100-177500) म लवल 10 म, या समतलय म पाच वरष नियमित सवा की ह; और (2) जो निमनलिखित योगयता रखत हो: अनिवारय: (i) जव-भौतिकी म पीएच.डी. क साथ जव-भौतिकी अथवा चिकितसा जव-रसायन म मासटर डिगरी; अथवा (ii) एम.डी. (जव-भौतिकी); अथवा (iii) एम.डी. फिजियोलॉजी अथवा एम.डी. जव-रसायन और जव-भौतिकी म एक वरष का परशिकषण। वाछनीय: किसी मानयतापरापत मडिकल कॉलज म अपन विषय म टयटर, डिमोसटरटर, सीनियर रजिडट अथवा रजिसटरार क रप म तीन वरष का अधयापन अनभव। टिपपणी 1: परतिनियकति की अवधि (अलपकालिक सविदा सहित) जिसम कदर सरकार क उसी या किसी अनय सगठन या विभाग म इस नियकति स ठीक पहल धारित किनही अनय काडर बाहय पदो पर परतिनियकति की अवधि (अलपकालिक सविदा सहित) ह, साधारणतया तीन वरष स अधिक नही होगी। टिपपणी 2: परतिनियकति (अलपकालिक सविदा सहित) पर नियकति क लिए अधिकतम आय सीमा आवदन परापत करन की अतिम तारीख को 56 वरष स

अधिक नही होगी।

<u>टिप्पण 3</u>: परतनियुकति के आधार पर नियुकति के परयोजन क लिए किसी अधिकारी दवारा 1 जनवरी, 2006 स पहल अथवा उस तारीख स जिसस छठ कदरीय वतन आयोग की सिफारिशो पर आधारित पनरीकषित वतन सरचना का विसतार किया गया ह, नियमित आधार पर की गई सवा को, सिवाय उस दशा क जहा एक स अधिक परव पनरीकषित वतनमान का साधारण गरड वतन या वतनमान सहित एक शरणी म विलय हो गया ह और वहा यह लाभ कवल उस पद (उन पदो) पर विसतारित होगा जिसक लिए गरड वतन या वतनमान बिना किसी उननयन का साधारण परतिसथापन गरड ह वतन आयोग की सिफारिशो पर आधारित विसतारित ततसथानी गरड वतन या वतनमान म की गई सवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय परोननति समिति ह, तो उसकी सरचना	भरती करन म किन परसिथतियो म सघ लोक सवा आयोग स परामरश किया जाएगा।
(12)	(13)
लाग नही	सघ लोक सवा आयोग स परामरश करना आवशयक ह ||

ए.12018/03/2016-एमएच-II

(सजय पत)
अवर सचिव, भारत सरकार